

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 730, 731, 732 / 2012.....जिला.....राजसमन्द.....

उनवान- सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड-3, उदयपुर बनाम मयूरम मार्बल, आमेट, राजसमन्द

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व ता अहकाम जो हुकम की ता में जारी ह
30.03.2015	<p style="text-align: center;"><u>खण्डपीठ</u> <u>श्री मनोहरपुरी - सदस्य</u> <u>श्रीमती आशा कुमारी - सदस्य</u></p> <p>अपीलार्थी विभाग की ओर से श्री आर.के.अजमेरा उपराजकीय अभिभाषक उपस्थित, प्रत्यर्थी अनुपस्थित।</p> <p>विभाग की ओर से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-3, राजसमन्द द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना-पत्र पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमें एसीटीओ ने निवेदन किया कि विचाराधीन प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र संख्या एफ/12(16)एफडी/कर/ 2009-188 दिनांक 09.02.2015 का प्रत्यर्थी लाभ लेना चाहते हैं, इस हेतु वे विभाग द्वारा दायर प्रकरण वापस लेना (Withdraw) चाहते हैं।</p> <p>इस पर विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को विद्वान करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की गयी।</p> <p>फलस्वरूप सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-3, राजसमन्द के पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र के आधार पर हस्तगत अपील विद्वान करने की अनुमति दी जाती है। अतः प्रस्तुत अपील जरिये विद्वान खारीज की जाती है।</p> <p style="text-align: center;">आदेश सुनाया गया। 30.3.2015 (आशा कुमारी) सदस्य</p> <p style="text-align: right;">(मनोहर पुरी) सदस्य</p>	